

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 4042036

LICENCE NO. CM/L - 4042036

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स दीवान सीमेंट लि०,
देह डेन्डो, जिला मालिर,
मालिर कराची,
पाकिस्तान

अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि
श्री विजय भुट्टा,
7, श्रदानन्द मार्ग स्ट्रीट # 2 इन्दौर,
मध्य प्रदेश 452001

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसांस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसांस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s Dewan Cement Limited,
Deh Dendo, District Malir, Karachi,
Pakistan.

Authorized Indian Representative
Mr. Vijay Bhutda,
7, Shradhhand Marg, Street # 2, Indore,
Madhya Pradesh -452001.

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की देय फीस सम्यक् रीति से और तय समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलायगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 04 अक्टूबर 2013 से 03 अक्टूबर 2014

रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from FOURTH OCTOBER, TWO THOUSAND THIRTEEN to THIRD OCTOBER, TWO THOUSAND FOURTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार तेरह
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

के नवम्बर

मास के

द्वि-विंशति

दिना

Signed, Sealed and Dated this twenty sixth day of NOVEMBER TWO THOUSAND THIRTEEN.

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


Scientist F& Head (CMD-I)
वैज्ञानिक एफ एण्ड प्रमुख (के. मु. वि.-1)

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक (3)
IS 8112 	43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (बिना परफोरमेन्स इम्प्रूवर्स के, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट के बिना व रेलवे स्लीपर बनाने के लिये नहीं) 43 Grade, Ordinary Portland Cement (without addition of performance improvers and not meant for use in manufacturing railway sleepers and excluding the requirements of transverse strength)	आई एस 8112 : 2013 43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि IS: 8112:2013 Specification for 43 Grade Ordinary Portland Cement

द्वितीय अनुसूची
THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञाप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 4042036 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 4042036

वस्तु प्रसारण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की शक्ति MANNER OF PAYMENT (4)
43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (बिना परफॉर्मन्स इम्प्रूवर्स के, ट्रांसवर्सी स्ट्रेंथ की रिकवायरमेंट के बिना व रेलवे स्लीपर बनावे के लिए नहीं) 43 Grade, Ordinary Portland Cement (without addition of performance improvers and not meant for use in manufacturing of railway sleepers and excluding the requirement of transverse strength)	1 TONNE	2.00 रुपये प्रति इकाई सभी इकाइयों के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए 51200.00 बड़े उद्योग के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क देय होगा Rs.2.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 51200/- for large scale unit during an operative period of one year.	क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणीय) के लिए उम्मा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस जो भी अधिक हो, दिल्ली नई दिल्ली में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने के अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अग्रिम लेन सहित और चालू अवधि के पहले 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने का न्यूनतम फीस जो भी अधिक हो, देय रहेगा। (b) Actual marking fee for one renewal or 12 months period whichever is higher, plus the previous advance payment on the basis of units produced up to the end of the first 12 months of the renewal period shall be payable for subsequent renewals. ग) नवीकरण के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अग्रिम लेन सहित और चालू अवधि के पहले 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने का न्यूनतम फीस जो भी अधिक हो, देय रहेगा। (c) Actual marking fee for one renewal or 12 months period whichever is higher, plus the previous advance payment on the basis of units produced up to the end of the first 12 months of the renewal period shall be payable for subsequent renewals.

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Scientist F&I Head/CMAA

वैज्ञानिक एफ एण्ड प्रमुख (क)